न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :- राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्या: 25/18 दायर दिनांक: 14.03.2018
जीसीएमएस नं. 2018/00051

उनवान

1 चन्द्रशेखर उर्फ शेखर पुत्र कामेश्वर जाति ब्राह्मण नि. कस्बा भुसावर तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।
--वादी

बनाम

1 राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर राज.।
2 मुरारीलाल पुत्र मिश्रीलाल 3 चन्द्रकला पुत्री मिश्रीलाल 4 विनोद कुमार 5 प्रमोद कुमार 6 रविन्द्र कुमार 7 श्याम सुन्दर पुत्रान हजारीलाल 8 मन्जू देवी 9 रजनी पुत्रियान हजारीलाल जातियान वैश्य नि. कस्बा भुसावर तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।
--प्रतिवादीगण

दावा डिक्लेरेशन एवं हुक्म इम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए. 1955

मूल से मिलान किया गया
Umesh
नकल लिपिक

अधिवक्ता:-
1 श्री सुरेन्द्र चौधरी --वादी
2 श्री पवन तिवारी --प्रति.सं. 2 लगा. 9

एवं

प्रकरण सख्या: 14/23 दायर दिनांक: 10.02.2023
जीसीएमएस नं. 2023/30

उनवान

1 मुरारीलाल पुत्र मिश्रीलाल 2 चन्द्रकला पुत्री मिश्रीलाल 3 विनोद कुमार 4 प्रमोद कुमार 5 रविन्द्र कुमार 6 श्याम सुन्दर पुत्रान हजारीलाल 7 मन्जू देवी 8 रजनी पुत्रियान हजारीलाल जातियान वैश्य नि. कस्बा भुसावर तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।
--वादीगण

बनाम

1 राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर राज.।
2 चन्द्रशेखर तिवारी पुत्र कामेश्वर जाति ब्राह्मण नि. कस्बा भुसावर तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।
--प्रतिवादीगण

दावा डिक्लेरेशन एवं हुक्म इम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए. 1955

फोटो स्टेट प्रमाणित
SL
निजि सहायक ग्रेड -II
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

अधिवक्ता:-
1 श्री पवन तिवारी --वादीगण
2 श्री चन्द्रशेखर तिवारी --प्रति.सं. 1

<u>निर्णय दिनांक 19/01/2026</u>

वादी द्वारा जरिये अधिवक्ता यह दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया है। उनवान चन्द्रशेखर उर्फ शेखर बनाम राज. सरकार प्रकरण संख्या 25/18 एवं उनवान मुरारीलाल बनाम

227

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज.

मूल से मिलान किया गया
[signature]
नकल लिपिक

राज. सरकार प्रकरण संख्या 14/23 प्रकरणों की विषयवस्तु एवं विधि का प्रश्न समान होने के कारण उक्त दोनों दावों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है, जो निम्नानुसार है–

उक्त दोनों दावों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नंबर 1228 रकबा 05 बिस्वा वाके ग्राम कस्बा भुसावर प्रथम तह. भुसावर में स्थित है। उक्त आराजी पर वादी अपने पूर्वजों के समय से ही काबिज रह कर काश्त करता चला आ रहा है तथा राज सरकार को राज लगान अदा करता चला आ रहा है। अन्य किसी दीगर व्यक्ति का उक्त आराजी से कभी भी कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा है।

उक्त आराजी पर राजस्व रिकॉर्ड में चिरंजी पुत्र माखन कौम वैश्य खातेदार दर्ज हो रहा है, जबकि उक्त व्यक्ति आराजी खसरा नंबर 1228 रकबा 05 बिस्वा से कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा था। उक्त व्यक्ति अरसा करीब 40 वर्ष पूर्व फौत हो चुका है तथा उक्त व्यक्ति की कोई जीवित वारिस नही है।

उक्त व्यक्ति फौत हो जाने एवं कोई वारिसान नहीं होने की वजह से लैण्ड होल्डर तहसीलदार, भुसावर पक्षकार मुकदमा बनाया गया है।

उक्त आराजी पर वादी अपने पूर्वजों के समय से ही काश्त करने के कारण वादी एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

वादी द्वारा निवेदन किया गया है कि आराजी खसरा नंबर 1228 रकबा 05 बिस्वा वाके ग्राम भुसावर प्रथम से चिरंजी पुत्र माखन को कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादी को खातेदार घोषित किया जावे।

हमने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा कराई गई। नोटिस की ताईद में प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार, भुसावर द्वारा जवाब पेश किया गया तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 9 जरिये प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा.दी. स्वीकार होने पर पक्षकार मुकदमा बनाये गये।

उक्त प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 9 द्वारा जवाब दावा पेश होने पर तनकीयात निर्धारण किये गये।

वादी की ओर से साक्ष्य PW-1 चन्द्रशेखर शपथ पत्र, PW-5 राजेन्द्र शपथ पत्र, PW-2 शपथ पत्र कामेश्वर, PW-4 उमेश शपथ पत्र, PW-3 सुनील शपथ पत्र, शपथ पत्र योगेश, शपथ पत्र सुरेन्द्र PW-7, शपथ पत्र सोम प्रकाश PW-6 तथा जिरह कराई गई।

उन्होंने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श–1 नकल जमाबन्दी संवत 2069 से 2072, प्रदर्श–2, प्रदर्श–3, प्रदर्श–4, प्रदर्श–5 नकल जमाबन्दीयां व खसरा गिरदावरी पेश की गई।

वादी वकील द्वारा साइटेशन के रूप में आर आर डी 1991 बग्गा बनाम सुरेन्द्र सिंह एवं डी एन जे 2010 (एस सी) एल आई सी बनाम रामपाल पेश की गई।

प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र DW-1 रविन्द्र कुमार प्रस्तुत किये गये व जिरह साक्ष्य प्रतिवादी कराई गई तथा उन्होंने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श–डी1 नकल दावा चन्द्रशेखर बनाम सरकार जो माननीय सिविल न्यायाधीश, भुसावर में पेश किया गया, उसकी ऑर्डरशीट की छायाप्रति पेश की गई तथा वारिस प्रमाण पत्र जो पार्षद वार्ड नंबर 17 द्वारा जारी किया, प्रदर्श–डी2 पेश किया गया।

हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजातों का अध्ययन किया गया। अधिवक्तागण की दलीलों पर मनन किया गया। तनकीवार निर्णय निम्नानुसार किया जाता है–

तनकी संख्या 1:– आया खसरा नंबर 1228 रकबा 05 बिस्वा वाके ग्राम भुसावर प्रथम में स्थित है, उक्त आराजी पर वादी अपने पूर्वजों के समय से ही काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था, जिसके संबंध में उनके द्वारा शपथ पत्र पीडब्ल्यू–1, पीडब्ल्यू–2, पीडब्ल्यू–3, पीडब्ल्यू–4, पीडब्ल्यू–5, पीडब्ल्यू–6 पेश किये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श–1, प्रदर्श–2, प्रदर्श–3, प्रदर्श–4, प्रदर्श–5 जमाबन्दीयां व खसरा गिरदावरी पेश की गई।

शपथ पत्र एवं राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार यह साबित नहीं होता है कि उनका व उनके वारिसान का नाम राजस्व रिकॉर्ड में हो। अतः तनकी संख्या 1 विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2:– आया राजस्व रिकॉर्ड में उक्त आराजी पर चिरंजी पुत्र माखन कौम वैश्य खातेदारी दर्ज हो गया, जवकि उक्त आराजी में उसका कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा है। उक्त व्यक्ति करीब 40 वर्ष पूर्व फौत हो चुका है। उक्त व्यक्ति का कोई जीवित वारिस नहीं है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था, जिसके संबंध में वादी द्वारा कब्जे बाबत शपथ पत्र पेश किया गया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जमाबन्दी एवं खसरा गिरदावरी पेश किये गये। उक्त के

फोटो स्टेट प्रमाणित

[signature]
निजि सहायक ग्रेड -II
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

[signature]
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज.

मूल से मिलान किया गया
नकल लिपिक

आधार पर मात्र कब्जा होना जाहिर किया गया। राजस्व रिकॉर्ड में नाम का अंकन होना नहीं पाया, जबकि राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी चिरंजी पुत्र माखन के नाम है। अतः तनकी संख्या 2 विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3:– आया विवादित आराजी प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 9 अपने पूर्वजों के समय से ही काश्त करते चले आ रहे है तथा भूमि पैत्रिक एवं पुश्तैनी है तथा आराजी प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 9 के बाबा/बडबाबा चिरंजी पुत्र माखन जाति वैश्य के नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 9 पर था, इसके संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य डीडब्ल्यू–1, रविन्द्र कुमार का पेश किया गया एवं नकल दावा माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, भुसावर के न्यायालय की छायाप्रतियां पेश की गई तथा वारिस प्रमाण पत्र नगर पालिका भुसावर के पार्षद वार्ड नंबर 17 की पेश किया गया। जमाबन्दी में नाम चिरंजी पुत्र माखन कौम वैश्य दर्ज है, जिससे जाहिर है कि प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 9 के पूर्वजों की भूमि है तथा वे ही चिरंजी पुत्र माखन के वारिस प्रतीत होते है। अतः तनकी संख्या 3 वहक प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 9 निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 4:– आया उक्त विवादित आराजी से वादी का कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा है, तो वादी को कोई क्षति होने का प्रश्न ही पैदा नही है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण के जिम्मे पर था। जिसके संबंध में वादीगण द्वारा कोई बोलता हुआ साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया और ना ही राजस्व रिकॉर्ड में उक्त विवादित आराजी उनके या उनके पुरखों के नाम कभी रही है। मात्र कब्जे बाबत उन्होंने अपने दावे में उल्लेख किया है। कब्जे के आधार पर खातेदारी वादी को दिया जाना उचित नहीं पाते है। जबकि प्रतिवादीगण द्वारा अपने साक्ष्य में वारिस प्रमाण पत्र पार्षद नगर पालिका व शपथ पत्र डी डब्ल्यू–1 रविन्द्र पेश किया गया है। इनके आधार पर तनकी संख्या 4 वहक प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 9 निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 5:– आया वादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 9 की आराजी में उपयोग व उपभोग तथा काश्त में किसी प्रकार मदाखलत व मजाहमत नहीं करें।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था, जिसके संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र डी डब्ल्यू–1 व वारिस प्रमाण पत्र नगर पालिका पार्षद वार्ड नंबर 17 का प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर प्रतिवादीगण ही उक्त विवादित आराजी के विधिक वारिसान जाहिर होते हैं। अतः वादी को प्रतिवादीगण जरिये स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द कराने का अधिकारी है। इसलिये तनकी संख्या 5 वहक प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

दादरसी:– तनकीवार निर्णयानुसार तनकी संख्या 1 व 2 विरूद्ध वादी निर्णित होने से दावा उनवान चन्द्रशेखर बनाम राज. सरकार प्रकरण संख्या 25/18 खारिज किया जाता है। चूंकि कब्जे के आधार पर खातेदारी दिया जाना उचित नहीं समझते है।

तथा तनकी संख्या 3, 4, 5 वहक प्रतिवादीगण मुरारीलाल वगै. के हक में निर्णित होने से दावा उनवान मुरारीलाल बनाम सरकार प्रकरण संख्या 14/23 स्वीकार किया जाता है कि आराजी खसरा नंबर 1640 रकबा 0.04 हैक्टे. में वादी संख्या 1 मुरारीलाल व वादी संख्या 2 चन्द्रकला हिस्सा 2/3 व वादी संख्या 3 लगायत 8 विनोद कुमार, प्रमोद कुमार, रविन्द्र कुमार, श्याम सुन्दर, मन्जू देवी, रजनी 1/3 हिस्सा के वाके ग्राम भुसावर प्रथम के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी इन्द्राज दर्ज किया जावे। तथा प्रतिवादी (चन्द्रशेखर) को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19/01/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)

फोटो स्टेट प्रमाणित
निजी सहायक ग्रेड -II
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)